कार्यालय मुख्य आयुक्त
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
39/1, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
दूरभाष: 0135–2608974, फैक्स–2608973

श्री डी॰एस॰ गर्ब्याल, आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के साथ हुई विभागीय बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा बैठक दि॰ 27.06.2019 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1. श्री डी॰एस॰ गर्ब्याल, आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।
2. श्री राजेश प्रताप सिंह, अधिशासी अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
3. श्री बी॰बी॰ ध्यानी, उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।
4. श्री यशपाल सिंह गुसाईं, समीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।
5. श्री जे॰पी॰ सती, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
6. श्री आर॰एस॰ भण्डारी, प्रधान सहायक, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत इस बैठक में लोक निर्माण विभाग के साथ उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियांवयन के संबंध में चर्चा हुई।

2. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि आयोग के साथ पूर्व में आहूत बैठकों के अनुपालन में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की 06 सेवाओं को अधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, जिसमें से 04 सेवाओं को ही अधिसूचित किया गया है। विभागीय वेबसाईट पर ''सेवा का अधिकार'' बटन बनाया गया है तथा उस पर सिटिजन चार्टर को अपलोड किया गया है तथा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की वेबसाईट का हाईपरलिंक बनाया गया है।

3. आयोग द्वारा विभागीय वेबसाईट का अवलोकन करने पर पाया कि विभागीय वेबसाईट पर Citizen Charter/RTS का बटन बनाया गया है, जिसके अंदर उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की बेवसाईट का हाईपरलिंक तथा नागरिक अधिकार पत्र को अंग्रेजी भाषा में अपलोड किया गया है।

4. उपरोक्त के क्रम में अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि वे निम्न कार्यवाहियाँ यथासमय पूर्ण कर <u>दि॰ 13.08.2019 तक</u> अनुपालन आख्या आयोग को उपलब्ध करायें:–

1. विभागीय स्तर पर उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत पुनः अधिसूचित किये जाने वाली सेवाओं को चिन्हित कर संशोधित प्रस्ताव शासन को

भेजा जाय तथा शासन स्तर पर सेवाओं को अधिसूचित किये जाने के संबंध में विभागीय स्तर से पैरवी की जाय।

2. विभागीय वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर नागरिक अधिकार पत्र का बटन पृथक से बनाया जाय। इसके अतिरिक्त सिटिजन चार्टर के संबंध में सुझाव दिया गया कि इसमें विभाग की सभी सेवाओं का समावेश रहे तथा सेवा प्राप्त न होने की दशा में आवेदक जिस अधिकारी के समक्ष शिकायत/अपील दर्ज कर सकता है, उसका नाम, पदनाम, पता, मोबाईल नं., ई–मेल आदि का विवरण अंकित रहे। विभागीय स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की व्यवस्था से ही नागरिक हितों की रक्षा हो सकेगी। उपरोक्त सुधार करने के उपरांत संशोधित सिटीजन चार्टर को हिन्दी भाषा में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही की जाय।

3. विभागीय वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर "सेवा का अधिकार" बटन के अलग से बनाया जाय तथा उसके अंदर अधिसूचित सेवाओं एवं उनसे संबंधित पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के कार्यालय का पता, दूरभाष नंबर एवं ई–मेल आदि अपलोड किया जाय।

4. विभागीय वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की बेवसाईट का हाईपरलिंक बनाया जाय।

5. निर्धारित तिथि तक उपरोक्त बिंदुओं पर अनुपालन आख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में कम से कम मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी **दि॰ 13.08.2019 को पूर्वाह्न 11:30 बजे** आयोग में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें।

(डी॰एस॰ गर्ब्याल)
आयुक्त।

संख्या :– 642 /19–03(45)/2017, दिनाँक: 28 जून, 2019।

प्रतिलिपि: –

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
3. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण (नाम से)।

28/6/19

(बी॰बी॰ ध्यानी)
उप रजिस्ट्रार।

SAO/AO

अधिकार पत्र

नागरिक ~~घोषणापत्र~~

(CITIZEN'S CHARTER)

लोक निर्माण विभाग

उत्तराखंड

UTTARAKHAND

http://www.pwduk.gov.in/

लोक निर्माण भवन

यमुना कॉलोनी, देहारादून- 248001

1. परिचयः–

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, राज्य में सड़क एवं पुल निर्माण कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण एवं नोडल सरकारी अभिकरण है। राज्य गठन के बहुत कम समय उपरान्त ही विभाग ने राज्य में सड़क अवसंरचना कार्यों के प्रभावी प्रबन्धन एवं निष्पादन द्वारा अच्छी प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त की है। हमारे हिमालयी राज्य की आपदा उन्मुख प्रवृति बहुत लम्बे समय से अवसंरचनात्मक विकास में चुनौती साबित हुई है। विभाग द्वारा किये गये विकास कार्यों ने अधिकांश आबादी और बस्तियों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा है और मार्गों की सतह में तेजी से सुधार और मजबूती प्रदान की है।

इस सिटिजन चार्टर का उद्देश्य कुशल शिकायत निवारण के लिये सभी को समयबद्व तरीके से सेवाओं की आसान पहुंच और समाधान प्रदान करना है।

2. दृष्टिकोणः–

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर राज्य और उनके लोगों को सर्वोत्तम सड़क आधारभूत सुविधायें प्रदान करना है। इसका उद्देश्य राज्य को टिकाऊ सड़क बुनियादी ढांचा प्रदान करना है जो अन्य कारकों के कारण अन्यथा आपदा उन्मुख है।

यह राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच आसान बनाएगा एवं उन्हें स्थापित सामाजिक–आर्थिक केन्द्रों के साथ–साथ नए बाजार स्थानों के विकास में सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार यह इन क्षेत्रों की समग्र अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में सुधार करेगा।

3. उद्देश्यः–

टिकाऊ सड़क बुनियादी ढांचा प्रणाली प्रदान करने और समयबद्व और नागरिक केन्द्रित तरीके से राज्य में सर्वोत्तम संभव इंजीनियरिंग प्रथाओं को स्थापित करना।

4. लाभार्थीः–

देश के अन्य हिस्सों एवं विश्व भर के अन्य तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों, विशेष रूप से उत्तराखण्ड राज्य के नागरिक, सड़क क्षेत्र के आधारभूत विकास से सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नए द्वार खुलने पर अत्याधिक लाभान्वित होंगे।

अल्पकालिक उद्देश्यों में विभाग लोक आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए अपने श्रेष्ठ प्रयास सुनिश्चित करता है एवं स्वयं को समयबद्व रीति से जनता की सेवा में विभिन्न तत्कालिक राहत जैसे कि पैच मरम्मत, लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण को हटया जाना,